

संक्षिप्त

जुआ खेलते 4 आरोपी गिरफ्तार

टोका मालपुरा व्याधिकारी आशीष प्रजापति व डिंगी थानाधिकारी

ओप्रकाश चौधरी ने जुआं प्रकरण में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है थानाधिकारी ओप्रकाश ने बताया कि उनके विशेष टीम ने सुखविक को सुचना दिया अस्पताल क्षयांगी घोड़े के पास जाल में चौसला में बैश्व देकर रूपए, पैसों पर दो लागार जुआं खेलते हुए चार आरोपी गोलाल लाल पुत्र नारायण रोर उम्र 47 साल निवासी परपुरा, फतेह पोहमढ तुरु भूरे खां देशवाली उम्र 54 साल, मुकेश रामपत्र भील उम्र 28 साल निवासी हरनोदा डिंगी व बोरोज उर्क राजु पुत्र प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है।

वायलेंस अर्गेंस्ट वूमेन का आयोजन

टोका। महिला अधिकारिता जयपुर के निर्देश पर 1.6 दिवायी

इंटरनेशनल डे फॉर एलिमेनेशन अफ वायलेंस अर्गेंस्ट वूमेन का आयोजन गुरुवार को राजकीय कन्वा महाविद्यालय, गुलजार बाग में कार्यशाला की गई। कार्यशाला में महिला अधिकारिता की संरक्षण अधिकारी ने होने जोशी ने बलिकाओं से संबोध कर महिलाओं की सुधार एवं सरकारिकरण के लिए उपलब्ध कानूनों को जानकारी दी। संबोध में लागू प्रतीक जारी रखा गया।

भारतीय न्याय संहिता वित्तन पर आधारित न्याय लाइन्स है तथा इसमें दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है। यह न्याय संहिता भारतीय लाकाचार को अपने मूल में रखते हुए, नागरिक केंद्रित बनाने के दिशा में बदलाव की प्रतीक है। नेशनल जेन बताया कि धारा 511 से धारा क्र 355 कर दी गई है, 20 नए अप्रयोग भी जोड़े जाने के साथ महिला, पुरुष के अतिरिक्त दूसरों द्वारा वर्तने के लिए अपराध के प्रतीक हैं। साथ ही, आज के समय की अवधकता के अनुभाव नई न्याय संहिता में लाए गई इ-एफआईआर, जीरो एफआईआर इलाइ पर भी चर्चा की गई।

ऋण आवेदन की अंतिम 31 दिसम्बर

दौसा। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विकास सहायी निगम लिमिटेड की ओर से संचालित राष्ट्रीय योजनातानी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वचक्कर व दिव्यांग वर्ग की विविधाओं को स्वरोगरार के अन्वलाइन रूप आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 है। अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक शाम सुन्दर शर्मा ने बताया कि ऋण आवेदन करने के साथ अवधकता के अनुभाव नई न्याय संहिता में लाए गई इ-एफआईआर, जीरो एफआईआर इलाइ पर भी चर्चा की गई।

अवेदन करने के लिए आवेदक वर्ष की एसएसओ आईडी या ई-प्रिंट के माध्यम से अनुजा निगम पोर्टल के माध्यम से अवेदन कर सकते हैं।

अवेदन करने के समय जन आधार कर्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, विकलांग प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, स्वयं के द्वारा प्रमाणित पृष्ठ में अनुजा निगम द्वारा ऋण ना लेने का शपथ पत्र एवं दस्तावेज आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि 18 से 60 साल के बीच उम्र वाले राजस्थान के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकते हैं।

अवेदन करने के स्वयं के लिए एसएसओ आईडी या ई-प्रिंट के माध्यम से अनुजा निगम पोर्टल के माध्यम से अवेदन कर सकते हैं।

अवेदन करने के स्वयं का बैंक खाता संख्या जन आधार से लिंक होना चाही है।

अवेदन करने के स्वयं का बैंक खाता संख्या में संबंधित विभागीय

उपजिला अस्पताल पावटा को लाडाकाबास में स्थानांतरित करने के विरोध में चौथे दिन भी धरना जारी

पावटा।

कस्बा पावटा में मंगलवार को

जनप्रतिनिधियों व आमजन ने बजट में

उपखंड स्तर पर ग्राम पावटा तहसील

पावटा में स्थित पावटा समाधारिक

स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला अस्पताल में

क्रमोन्तर होने के बाद उसे ग्राम

लाडाकाबास में स्थानांतरित किए जाने

सहित विशेष संगठनों का चौथे दिन भी

धरना जारी रहा। धरने के संबोधित

करते हुए सरपर्च संघ जिलाकाबास में

महरसिंह घटक, समाजिका कार्यकर्ता

ओपी वायला,

किसान नेता श्योनाथ

सेनी, सुरेश शर्मा सहित बकातों ने

बताया कि उपखंड पावटा क्षेत्र की

बहुतायत आवादी

अस्पताल विवासी

के लिए उपजिला अस्पताल

पावटा को लाडाकाबास में

स्थानांतरित करने के विरोध में

धरने पर बैठे ग्रामीण।

जिला अस्पताल में क्रमोन्तर

किया गया

आधारित है। लेकिन, बोते कुछ दिनों से

चौच है कि, उपजिला अस्पताल पावटा को

पावटा कार्बन में ही रखने के लिए

भूमि उपलब्ध नहीं है कहकर प्रश्न किया जाता है।

जबकि भूमि की उपलब्धता बहुता

है लेकिन पता नहीं तुमराह योग्यता

पर नहीं है। जबकि बजट के लिए न्याय संगत

नहीं है। उपजिला अस्पताल को ग्राम

लाडाकाबास में स्थानांतरित करने से

उपखंड पावटा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी

है। जिसे लेकर उपजिला अस्पताल में

क्रमोन्तर होने के बाद उसे ग्राम

लाडाकाबास में स्थानांतरित करने की

कार्रवाई होगी। उपजिला अस्पताल के

बावर से विधिवत बढ़ाता जा रहा है।

इसके

भवन, भूमि, स्टॉक के ग्राम

लाडाकाबास में स्थानांतरित किया जाता है।

जबकि जारी रहा है। सरकार के

गणना वैदेशी विधायिका जारी है।

जिला अस्पताल के लिए न्याय संगत

नहीं है। उपजिला अस्पताल को ग्राम

लाडाकाबास में स्थानांतरित करने से

उपखंड पावटा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी

है। सरकार के

गणना वैदेशी विधायिका जारी है।

जिला अस्पताल के लिए न्याय संगत

नहीं है। उपजिला अस्पताल को ग्राम

लाडाकाबास में स्थानांतरित करने से

उपखंड पावटा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी

है। सरकार के

गणना वैदेशी विधायिका जारी है।

जिला अस्पताल के लिए न्याय संगत

नहीं है। उपजिला अस्पताल को ग्राम

लाडाकाबास में स्थानांतरित करने से

उपखंड पावटा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी

है। सरकार के

गणना वैदेशी विधायिका जारी है।

जिला अस्पताल के लिए न्याय संगत

नहीं है। उपजिला अस्पताल को ग्राम

लाडाकाबास में स्थानांतरित करने से

उपखंड पावटा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी

है। सरकार के

गणना वैदेशी विधायिका जारी है।

जिला अस्पताल के लिए न्याय संगत

नहीं है। उपजिला अस्पताल को ग्राम

लाडाकाबास में स्थानांतरित करने से

उपखंड पावटा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी

है। सरकार के

गणना वैदेशी विधायिका जारी है।

जिला अस्पताल के लिए न्याय संगत

नहीं ह